पत्र संख्या–5 नि०गो०वि० (1) 01/2023–....................../

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– /2025

विषय :– **डा० फातेहुज्जमाँ, तदेन मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमराँव, बक्सर सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर का दिनांक–09.04.2023 एवं दिनांक–27.06.2023 कुल 2 (दो) दिन तथा दिनांक–10.04.2023 से 26.06.2023 तक कुल 78 (अठहत्तर) दिनों के निलंबन अवधि का सेवा विनियमन किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–23.12.2022 को तदेन माननीय विभागीय मंत्री के दरभंगा परिभ्रमण के दौरान बिहार पशु चिकित्सा महासंघ के Whatsapp समूह पर डा० फातेहुज्जमाँ, तदेन मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमराँव, बक्सर के द्वारा माननीय विभागीय मंत्री महोदय के संबंध में अभद्र टिप्पणी की गयी। उक्त आरोप के लिए डा० फातेहुज्जमाँ को दिनांक–10.04.2023 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा दिनांक–27.06.2023 के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2. डा० फातेहुज्जमाँ के द्वारा निलंबन अवधि दिनांक–10.04.2023 से 26.06.2023 तक को विनियमित किये जाने हेतु अभ्यावेदन दिनांक–08.11.2023 समर्पित किया गया। उक्त अभ्यावेदन में उनके द्वारा अंकित किया गया कि दिनांक–09.04.2023 से 25.06.2023 तक तबियत खराब होने के कारण Multispeciallity Hospital, Ara में भर्त्ती थे एवं डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरांत उनके द्वारा दिनांक–28.06.2023 के पूर्वाहन में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। उक्त अस्पताल के निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी कि डा० फातेहुज्जमाँ दिनांक–09.04.2023 को Multispeciallity Hospital, Ara में एडमिट हुए एवं दिनांक–25.06.2023 तक ईलाजरत रहे तथा सभी मेडिकल रिपोर्ट/पूर्जा/कागजात एवं फिटनेस प्रमाण–प्रत्र उक्त हॉस्पीटल से ही निर्गत है।

3. उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा डा० फातेहुज्जमाँ के निलंबन अवधि दिनांक–10.04.2023 से 26.06.2023 तक को निम्न रूप में विनियमित किये जाने का परामर्श प्रतिवेदित किया गया :–

(i) दिनांक–09.04.2023 अनुमान्य देय अवकाश (अन्तर्वासी चिकित्सा अवधि)।

(ii) दिनांक–10.04.2023 से 25.06.2023 अनुमान्य देय अवकाश (अन्तर्वासी चिकित्सा अवधि)।

(iii) दिनांक–26.06.2023 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत कर्त्तव्य अवधि।

(iv) दिनांक–27.06.2023 अनुमान्य देय अवकाश।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में डा० फातेहुज्जमाँ, तदेन मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमराँव, बक्सर सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर के निलंबन अवधि दिनांक–10.04.2023 से 26.06.2023 तक को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है :–

(i) दिनांक–09.04.2023 अनुमान्य रूपांतरित अवकाश के रूप में।

(ii) दिनांक–10.04.2024 से 25.06.2023 तक अनुमान्य रूपांतरित अवकाश के रूप में।

(iii) दिनांक–26.06.2023 को कर्त्तव्य अवधि के रूप में।

(iv) दिनांक–27.06.2023 को अनुमान्य रूपांतरित अवकाश के रूप में।

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 नि०गो०वि० (1) 01/2023–................../पटना–15, दिनांक–................./2025

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गया/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमराँव, बक्सर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया/डा० फातेहुज्जमाँ, जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/गया/शिवहर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 नि०गो०वि० (1) 01/2023–66 नि०गो०वि०/पटना–15, दिनांक–30/07/2025

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/11/2025

सरकार के संयुक्त सचिव।